उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-23/2018/1013/पांच-8-2018-जी0(290)/2017
लखनऊ: दिनांक 26 मार्च, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2017 में किये गये चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या-56(Vi)/19/डी0आर0/सेवा-8/2015-16, दिनांक 22-11-2017 में 37 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के अधीन निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से शर्त क्रमांक-5 में निर्धारित अवधि में सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होगे।

3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगा। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्तसमय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य

क्रमश:

u.o.m.n

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुन: संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी **दिनांक 27-04-2018** तक अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के समक्ष उपस्थित होगें तथा शर्त क्रमांक-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु चिकित्साधिकारियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7- चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)

(2) अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्रागवृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र (संलग्न प्रारूप पर)

(3) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(4) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

(6) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(7) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(8) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

8- यदि नवनियुक्त चिकित्साधिकारी, शासनादेश संख्या-1273/चि0-3-2015-जी0-

क्रमश:

u.o.m.n

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

06/2013टी0सी0-1, दिनांक 26-05-2016 के माध्यम से अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र में स्थित पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 पर तैनाती का विकल्प देते हैं, तो उन्हें स्नात्कोत्तर पाठयक्रम में प्रवेश हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-564/चि0-3-2014-जी0-06/2013, दिनांक 28-02-2014 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सीटों के आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

9- संलग्न सूची में अंकित चिकित्साधिकारियों में से यदि कोई चिकित्साधिकारी पूर्व से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत है, तो उसे यह लिखित रूप में विकल्प देना होगा कि वह पूर्व में की गयी नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहना चाहता है या वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर। यदि किसी चिकित्साधिकारी द्वारा वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण हेतु नहीं की जायेगी।

10- मुख्य चिकित्साधिकारी यह निर्धारित करें कि चिकित्सकों की आवश्यकता एवं विशेषज्ञता के दृष्टिगत उनकी तैनाती सामु0स्वा0 केन्द्र में विशेषज्ञ के पद के सापेक्ष की जाय। विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्राथ0स्वा0 केन्द्र पर कदापि तैनात न किया जाय।

2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

संलग्नक-तैनाती सूची एवं शपथ पत्र का प्रारूप।

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्या-23/2018/1013(1)/पांच-8-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सर्व सम्बन्धितों को

क्रमशः

u.o.m.n

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।

4- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये चिकित्साधिकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।

6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

7- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

9- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलापैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2017 में चयनित चिकित्साधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप।

समक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक---------------------शपथ पत्र डा0----- -------------------- पुत्र श्री/डा0--------------------------------निवासी--------------------------जनपद---------- ----------मैं डा0-------------------------------- शपथकर्ता उपरोक्त निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता की नियुक्ति शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या------------------------------ दिनांक ----------------द्वारा उ0प्र0 प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के सामान्य उपसंवर्ग के पद पर नियुक्त करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक---के अधीन तैनात किया गया है।
2. यह कि शपथकर्ता के विरूद्व कोई आपराधिक मामला अथवा अन्य कोई ऐसा मामला लम्बित अथवा विचाराधीन नहीं है, जो उसे उक्त पद पर योगदान करने अथवा शासकीय सेवा करने के लिए आयोग्य ठहराता हो।
3. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त संगठन का सदस्य नहीं है।
4. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन में कोई अन्यथा तथ्य एवं प्रतिकूल तथ्य पाये जाने की दशा में मेरी नियुक्ति निरस्त कर विधि समस्त कार्यवाही की जाती है, तब प्रश्नगत नियुक्ति/तैनाती के सम्बन्ध में कोई अधिकार/दावा/क्षतिपूर्ति क्लेम नहीं करूँगा और उ0प्र0 शासन को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये मेरी नियुक्ति निरस्त/समाप्त कर दें।

दिनांक----------

सत्यापन

मैं डा0-----------------शपथकर्ता ईश्वर की शपथ लेकर/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि उक्त शपथ-पत्र के प्रस्तर-1 से 4 के तथ्य मेरे निजी ज्ञान में सच व सही है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक---------------

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चरित्र प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि डा0----------------------पुत्र श्री-----------------------------
निवासी--
को विगत--------------------वर्षो/माह में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मेरे संज्ञान में ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं, जो इनके प्रतिकूल हो।

डा0-------------------------------मेरे निकट सम्बन्धी नहीं है, उनके उत्कृष्ट चरित्र एवं प्राग्वृत्त के अनुसार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

हस्ताक्षर-------------------------
निवासी---------------------------

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2018/1013/पांच-8-2018-जी0(290)/2017, दिनांक 26-03-2018 की तैनाती सूची का संलग्नक-

क्र.सं.	चयन क्रमांक	अनुक्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम/पिता/पति का नाम/ पत्र व्यवहार का पता	श्रेणी	गृह जनपद	योग्यता/ विशेषज्ञता	प्रस्तावित तैनाती
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एस-83	52320047899	डा0 प्रेरणा सिंघल/पत्नी डा0 पुनीत गुप्ता/सी-1306 अम्रपाली इडेन पार्क, नोएडा, से0-50	सामान्य	मेरठ	एम0बी0बी0एस0/ एम0डी0 (कम्युनिटी मेडिसिन)	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी (सी0एच0सी0), बागपत
2.	एस-98	52320021102	डा0 रशिका तिवारी/पत्नी श्री अभिषेक शुक्ला/म0नं0-568ख/204, गीतापल्ली, आलमबाग, लखनऊ-226005	सामान्य	लखनऊ	एम0बी0बी0एस0/ डी0एन0बी0 (एनेस्थीसियोलाजी)	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई
3.	एस-109	52320006811	डा0 कृति नागर/पुत्री श्री अमित नागर/बी-604, फार्चना अपार्टमेन्टस, न्यू हैदराबाद, लखनऊ-226007	सामान्य	गोरखपुर	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी (सी0एच0सी0), बाराबंकी
4.	एस-171	52310006168	डा0 रोहित रंजन/पुत्र श्री अशोक कुमार/रामरती सदन, मो0-लस्करीगंज, बांदा	सामान्य	रोहताश, बिहार	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया
5.	एस-238	52310020733	डा0 शत्रुघन पाण्डेय/पुत्र श्री दीना नाथ पाण्डेय/ग्राम व पो0-पाण्डेय पत्ती, जिला-बक्सर, बिहार-802101	सामान्य	बक्सर, बिहार	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया
6.	एस-245	52320022119	डा0 देवांशी मिश्रा/पुत्री श्री शैलेन्द्र मिश्रा/म0नं0-01, नियर पी0डी0 महिला डिग्री कालेज, कोर्ट रोड, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद	सामान्य	फर्रूखाबाद	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज
7.	एस-247	52320030349	डा0 कोमल शाह/पुत्री श्री रवीन्द्र कुमार शाह/289/1, मोतीनगर, लखनऊ	सामान्य	लखनऊ	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, लखीमपुर खीरी
8.	एस-259	52320062543	डा0 प्रियंका दुबे/पुत्री श्री गंगा लाल दुबे/म0नं0-2/50, सराय कोठीवालान, स्टेशन रोड, मुरादाबाद	सामान्य	मुरादाबाद	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी (सी0एच0सी0), अमरोहा
9.	एस-282	52320006778	डा0 ललित कृष्णा/पुत्र श्री कृष्ण मुरारी /रंगीली गली, बरसाना, मथुरा-281405	सामान्य	मथुरा	एम0बी0बी0एस0/ डी0एन0बी0 (आर्थोपैडिक्स)	जिला चिकित्सालय ट्रामा सेन्टर, बुलन्दशहर
10.	एस-314	52320049029	डा0 श्रद्धा मिश्रा/पत्नी श्री विजेन्द्र कुमार तिवारी/द्वारा डा0 सी0बी0 तिवारी/ पुलिस स्टेशन के पीछे, ग्राम व पो0-रामकोला, जिला-कुशीनगर-274705	सामान्य	सुल्तनपुर	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी (सी0एच0सी0), प्रतापगढ़
11.	एस-440	52350028759	डा0 रश्मि यादव/पत्नी श्री आनन्द चौधरी/2/136, विपुल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010	ओ0बी0सी0	लखनऊ	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी (सी0एच0सी0), गोण्डा
12.	एस-588	52320032348	डा0 आलोक रघुवंशी/पुत्र श्री रमेश कुमार सिंह/डी-132, विलंगटन स्टेट, ढकोली, जिरखपुर, पंजाब-140603	सामान्य	पंजाब	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर
13.	एस-651	52350012429	डा0 प्रमोद कुमार कुशवाहा/पुत्र श्री रामसेवक कुशवाहा/निकट डाकघर, दुर्गा मन्दिर वाली गली, आस्फाबाद, फिरोजाबाद-283203	ओ0बी0सी0	फिरोजाबाद	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा

क्रमशः----

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14.	एस-674	52320015697	डा0 उत्कर्ष मिश्रा/पुत्र श्री कृष्ण कुमार मिश्रा/37, आजाद नगर कालोनी, बस स्टेशन के पीछे, गोण्डा-271001	सामान्य	गोण्डा	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच
15.	एस-713	52320006103	डा0 तरंग सलूजा/पत्नी डा0 अनूप कुमार गुप्ता/द्वारा शीतरला प्रसाद विजय कुमार किराना मर्चेन्ट, केराकत, जौनपुर-222142	सामान्य	जौनपुर	एम0बी0बी0एस0/ डी0जी0ओ0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी (सी0एच0सी0), आजमगढ़
16.	एस-746	52310000173	डा0 मधुरेन्द्र कुमार/पुत्र श्री आनन्द लाल अलंकार/म0नं0-सी/116/315, माजा बाजार, गोरखपुर-273001	सामान्य	बिहार	एम0बी0बी0एस0/ एम0डी0 (कम्युनिटी मेडिसिन)	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी (सी0एच0सी0), बलिया
17.	एस-760	52310006797	डा0 अभिनन्दन कुमार/पुत्र श्री राम छबीला ठाकुर/ बैंक कालोनी, नियर मिलन होटल, गोबरसी चौक, पो0-भगवानपुर, मुजफफरपुर, बिहार-842001	सामान्य	बिहार	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया
18.	एस-925	52320067876	डा0 अजीत सिंह गौतम/पुत्र श्री चन्द्र प्रताप सिंह गौतम/अपोजिट जिला जेल, देवरिया दानापुर, बरहज रोड, देवरिया	सामान्य	गाजीपुर	एम0बी0बी0एस0/ एम0एस0 (जनरल सर्जरी)	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया
19.	एस-1067	52310006654	डा0 अपूर्व राज/पुत्री श्री भूपेन्द्र नाथ सिन्हा/द्वारा श्री अमित राज, एक्सिस बैंक, जायसवाल कम्पाण्ड, मिथुनपुरा, मुजफफरपुर, बिहार-842002	सामान्य	बिहार	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया
20.	एस-1091	52320008378	डा0 मो0 सबही अजीज/पुत्र श्री मुसीर आलम/खान कालोनी, अहमद खान मण्डी, बिहाइन्ड चुंगी, उमरपुरा, हरीबंधनपुर, जौनपुर-222002	सामान्य	जौनपुर	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़
21.	एस-1094	52350010158	डा0 अमित यादव/पुत्र श्री ब्रजराज सिंह/नियर कोआपरेटिव बैंक, बरनाहल, मैनपुरी	ओ0बी0सी0	मैनपुरी	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद
22.	एस-1191	52320018913	डा0 सारिका पाण्डेय/पुत्री श्री विजय बहादुर पाण्डेय/कुवारपुर, नसरतपुर, करोली, मैनपुरी-205265	सामान्य	मैनपुरी	एम0बी0बी0एस0/ डी0जी0ओ0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद
23.	एस-1228	52310010259	डा0 प्रशांत कुमार/पुत्र श्री कुमुद कुमार चौधरी/बी-3/19, फलैटनं0-101, डी0एफ0एल0 अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद-201102	सामान्य	बिहार	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया
24.	एस-1279	52320023012	डा0 तत्हीर फातिमा/पुत्री श्री अच्छन खान/2/383, विनम्र खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010	सामान्य	लखनऊ	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी (सी0एच0सी0), लखीमपुर खीरी
25.	एस-1335	52310015704	डा0 मधुमिता रंगारी/पुत्री श्री जयंत रंगारी/288-एक्स, सौम्य निवास, गैस गोदाम गली, पुरदिलपुर, गोरखपुर-273001	सामान्य	मध्य प्रदेश	एम0बी0बी0एस0/ डी0जी0ओ0	जिला महिला चिकित्सालय, गोरखपुर
26.	एस-1364	52320039563	डा0 खुशबू सिंह/पुत्री श्री यादवेन्द्र सिंह/द्वारा राजवंश मोटर, 90 राहुल नगर रोड, ठंडी सड़क, नियर गांधी, अशराम, मध्य, आजमगढ़-276001	सामान्य	आजमगढ़	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी (सी0एच0सी0), जौनपुर

क्रमश:----

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27.	एस-1399	52320022739	डा0 राहुल दीक्षित/पुत्र श्री हरी कृष्ण दीक्षित/632/26, कैलाश विहार, कमता चिनहट, लखनऊ-226028	सामान्य	लखनऊ	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई
28.	एस-1436	52350019803	डा0 मो0 अतीक अन्सारी/पुत्र श्री शरीफ अंसारी/डी-246, पाकेट-डी, दिलशाद गार्डेन, दिल्ली-110095	ओ0बी0सी0	प्रतापगढ़	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, सुल्तानपुर
29.	एस-1477	52320036609	डा0 अनामिका रावत/पुत्री श्री दयानन्द सिंह रावत/ग्राम-रामपुर, पो0-गभाना, जिला-अलीगढ़	सामान्य	अलीगढ़	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी (सी0एच0सी0), हाथरस
30.	एस-1503	52320037617	डा0 अदिति श्रीवास्तव/पुत्री श्री आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव/शीला सदन, जेल रोड, बांदा-210001	सामान्य	बांदा	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी (सी0एच0सी0), हमीरपुर
31.	एस-1584	52350045844	डा0 आशा गुप्ता/पुत्री श्री गनेश प्रसाद गुप्ता/द्वारा श्री अभय कुमार गुप्ता/ अमेजिंग वर्ड साइबर कैफे, सुभाष चौक, पडरौना, कुशीनगर	ओ0बी0सी0	कुशीनगर	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी (सी0एच0सी0), महराजगंज
32.	एस-1605	52350025017	डा0 कृष्ण कुमार/पुत्र श्री शेर सिंह यादव/म0नं0-341, से0-21/सी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001	ओ0बी0सी0	एटा	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़
33.	एस-1720	52350007297	डा0 मु0 परवेज अख्तर/पुत्र श्री अययुब /ई-49, सर्वोदय नगर, इन्दिरानगर, लखनऊ-226016	सामान्य	लखनऊ	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़
34.	एस-1821	52350043147	डा0 मोहम्मद आफाक अहमद/पुत्र श्री हाजी मुबारक अली/मछली मण्डी, ट्रांन्सपोर्टनगर महेवा, दुकान नु0-सी-23, गोरखपुर	ओ0बी0सी0	संतकबीन रगर	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती
35.	एस-1867	52350014491	डा0 प्रवीण कुमार सिंह/पुत्र श्री नारायन सिंह/ई-55, एम0के0 रेजीडेनसी, प्लाट नं0-8बी, द्वारिका, से0-11, नई दिल्ली	ओ0बी0सी0	हाथरस	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ
36.	एस-1903	52350023356	डा0 अजीत कुमार यादव/पुत्र श्री रामचन्द्र यादव/ग्राम-कोल्हुआ, बढ़या रोउ, पो0-पीजीगंज, जिला-गोरखपुर-273165	ओ0बी0सी0	गोरखपुर	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थनगर
37.	एस-2051	52350012794	डा0 विवेक जैन/पुत्र श्री जय प्रकाश/ ग्राम व पो0-सरूरपुर कला, जिला-बागपत-250619	ओ0बी0सी0	बागपत	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।